BSNLEU

B S N L Employees Union

(Regd. No. 4896)
(The Only Recognised union in BSNL)

M.P. Circle, BHOPAL

OFFICE:1195,Lal Kothi, Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)
Phone:- 0761-2425789, Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499
Circle Secretary Email:srnayak68@yahoo.in Circle President
S.R.Nayak Saiyed Raasid Ali

"विधि" का पालन करने के लिए अनुशासनात्मक प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे अनेकों संदर्भ रिकार्ड में है कि:–

1. अनुशासनात्मक अधिकारी के मस्तिष्क को कोई दूसरा मस्तिष्क प्रभावित नहीं कर सकता।

2. अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दिए गए आरोप पत्र में वर्णित आरोपों से पूर्व या पश्चात् की घटनाओं को जोड़कर किसी भी प्रकार का दण्डात्मक आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश गैर कानूनी होगा।

3. दण्डात्मक आदेश, यदि कोई है, तो लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुपात में ही दण्ड का अनुपात निर्धारित किया जावे। गैर अनुपातिक दण्डात्मक आदेश विधि की अवहेलना होगा। अर्थात् गैर कानूनी होगा।

4. यदि कोई अनुशासनात्मक अधिकारी, नियम में वर्णित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी से सलाह करेगा या उसके निर्देश पर कार्य करेगा तो इस प्रकार से पारित कोई भी आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत किया गया कार्य होगा। अर्थात् गैर कानूनी होगा इत्यादि --- इत्यादि।

इसलिए निवेदन है कि दिनांक 07.04.2010 को विषयांतर्गत रिट पिटीशन के निष्पादन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का आब्जर्वेशन प्रतिवादी क्रमांक 4 अर्थात् बी एस एन एल एम्पलाइज यूनियन द्वारा प्रस्तुत अपने पक्ष के दृष्टिगत तथा उप महाप्रबंधक अनुरक्षण, डब्ल्यू.टी.आर. जबलपुर श्री पी.के.जैन के द्वारा विचाराधीन अनुशासनात्मक प्रकरणों के डिस्पोजल में विधि विरुद्व हस्तक्षेप करने की आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए है।

अतः इस पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के आब्जर्वेशनों के विषय में, अपने कानूनी सलाहकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर हम आपको वास्तविक वैधानिक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं एवम् आशा करते हैं कि विषयांतर्गत डी.जी.एम. श्री पी.के.जैन के माध्यम से फैलाई गई भ्रान्तियों से आप अप्रभावित रहेंगे।

कृपया पत्र की पावती दें।

संलग्नः– माननीय उच्च न्यायालय जबलुपर द्वारा दिनांक 07.04.2010 को निष्पादित रिट पिटीशन के आदेश की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति।

धन्यवाद

भवदीय

(एस.आर.नायक)
परिमण्डल सचिव